

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं तहसील हुजूर जिला भोपाल

क्रमांक /
प्रति,
1. आयुक्त
जनसम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा बानगंगा, भोपाल

भोपाल दिनांक

2. उप नियंत्रक
शासकीय मुद्रणालय होशंगाबाद रोड, भोपाल

विषय:- भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ 82/17-18 रामगंज मंडी ब्यावरा-भोपाल बडी रेल लाईन परियोजना के लिये भू-अर्जन हेतु धारा -19 की घोषणा का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन उपरान्त समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय में प्रचलित भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 06/अ-82/17-18 ग्राम- झिरनिया का कुल रकबा 6.449 हे० भूमि रामगंज मंडी ब्यावरा-भोपाल बडी रेल लाईन परियोजना के लिये भू-अर्जन किये जाने धारा 19 की घोषणा आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।

2- कृपया घोषणा का प्रकाशन इस सप्ताह में प्रकाशित होने वाले म० प्र० राजपत्र/दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित होने वाले राजपत्र एवं दोनो स्थानीय समाचार पत्रों की एक-एक प्रति प्रकरण में संदर्भ हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध का कष्ट करें।

संलग्न :- 6 प्रतियां प्रकाशनार्थ
(घोषणा)

अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू- अर्जन अधिकारी
तहसील हुजूर भोपाल
भोपाल दिनांक 17/09/18

789
पृ०क्र० /
प्रतिलिपि:-

1. डिप्टी चीफ इंजिनियर/ सी-III वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे कोटा की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि धारा 19 की घोषणा का प्रकाशन दोनो स्थानीय समाचार पत्रों में करवाए तथा प्रकाशन उपरान्त राजपत्र एवं समाचार पत्र एक-एक प्रति प्रकरण में संदर्भ हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु अधिनस्थ को आदेशित करें।
2. अपर तहसीलदार, /नायब तहसीलदार तहसील हुजूर जिला- भोपाल की ओर सूचनार्थ। कृपया अधिनियम की धारा 19 की घोषणा का प्रकाशन संबंधित क्षेत्र सार्वजनिक स्थान पर दो अशासकीय गवाहों दो अशासकीय गवाहों कि उपस्थिति में संबंधित थाना ग्राम पंचायत एवं कलेक्टर कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन कराया जाकर तामिल सुनिश्चित करें एवं कोई भी व्यक्ति घोषणा के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के सय तक घोषणा में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू- अर्जन) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगंम सृजित नहीं करेगा।
3. जिला पंजीयक, जिला भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त खसरा नम्बरों का भू-अर्जन होने से क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाति है।
4. उप पंजीयक, जिला भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त खसरा नम्बरों का भू-अर्जन होने से क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाति है।
5. प्रभारी अधिकारी, एन०आई०सी० शाखा, जिला कार्यालय भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि समुचित सरकार की बेबसाईट www.bhopal.nic.in पर घोषणा अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न :- 6 प्रतियां प्रकाशनार्थ
(घोषणा)

अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू- अर्जन अधिकारी
तहसील हुजूर भोपाल

